न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 14 / 2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री रिछपाल सिंह पटवारी गोल उर्फ उम्मेदाबाद कार्यवाहक दीगांव, तहसील जालोर हाल पटवारी ऊण, तहसील आहोर, जिला जालोर		जिला कलेक्टर (भू.अ.) जालोर

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जालोर क्रमांकः विजा–52 / भू.अ. / 2020 / 1845 दिनांक 16.06.2022 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही के तहत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी (Commulative) प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 16 .03.2022

1. यह अपील श्री रिछपाल सिंह, पटवारी गोल उर्फ उम्मेदाबाद कार्यवाहक पटवारी दीगांव, तहसील जालोर, हाल पटवारी ऊण, तहसील आहोर, जिला जालोर ने जिला कलेक्टर जालोर के आदेश क्रमांकः विजा–52 / भू.अ. / 2020 / 1845 दिनांक 16.06.2022 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि तहसीलदार जालोर के पत्र दिनांक 03.09.2020 द्वारा अपीलाण्ट तत्का0 पटवारी गोल उर्फ उम्मेदाबाद, कार्यवाहक पटवारी दीगांव तहसील जालोर द्वारा अधूरा चार्ज देने एवं रिकार्ड कार्य में अनियमितता के गंभीर आरोपों में आरोपी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–16 में कार्यवाही करने हेतु प्रारूप चार्जशीट बनाकर जिला कार्यालय को प्रेषित की गई। जिला कलेक्टर जालोर द्वारा आरोपित आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर होने से अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम–16 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

दिनांक 16.06.2022 के द्वारा अपीलाण्ट ने अपनी लापरवाही को संगत ठहराने के लिए बताये गये कारण पूर्णतः स्वीकर योग्य नही होना मानते हुए, आरोपी को लघु शास्ती से दण्डित किया जाकर, सीसीए नियम–17 के अन्तर्गत इनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

3. जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकः भू.अ./वि.जा./2019/81 दिनांक 05.01.2021 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोपों का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री रिछपालसिंह पटवारी गोल उर्फ उम्मेदाबाद के पास दिनांक 24.10.2018 से 28.03.2019 तक पटवार मण्डल दीगांव तहसील जालोर जिला जालोर का अतिरिक्त कार्यभार रहा है। इस दौरान आप द्वारा खातेदार उनामाराम पुत्र राजाराम जाति चौधरी निवासी दीगांव की खातेदारी आराजी ग्राम दीगांव के ख0नं0 122. 128 से 133, 172, 231 में निहत हिस्से में जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं0 11 व 12 में नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 25.01.2019 के जरीये RMGB शाखा बागरा के पक्ष में रहन का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का नोट अंकित किया है तथा बैंक के रहननामे पर भी ना0क0सं0 445 दिनांक 25.01.2019 के जरिये उनामाराम पुत्र राजाराम कौम चौधरी का हि0 RMGB बैंक शाखा बागरा के पक्ष में रहन दर्ज किये जाने का नोट अंकित किया है, जबकि उक्त नामान्तरकरण दर्ज आदिनांक फैसल से शेष है, जिससे वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी में रहन दर्ज दर्शित नही हो रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न आरोप विवरण पत्र में अंकित है। इस प्रकार आप द्वारा जारी बैंक के पास उपलब्ध रिकार्ड एवं वर्तगान राजस्व रिकार्ड में अन्तर है। आपका उक्त कृत्य अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, काश्तकार एवं संबंधित बैंक के साथ धोखाधडी, घोर अनियमितता एवं अज्ञानता की तारीफ में आता है। जिसके लिए आप जिम्मेदार है। अतः आप अनुशासनिक दण्ड के भागी है।

आरोप संख्या 2–

यह कि आप द्वारा ग्राम नबी के नामान्तरकरण संख्या 682 की एक ही कम सं0 पर तीन नामान्तरकरण अलग–अलग दिनांक में दर्ज किये है एवं जमाबंदी ऑनलाइन हो जाने से पूर्व के दो नामान्तरकरण ऑनलाइन जमाबंदी में दर्शित नही हो

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

रहे है, जिसमें से एक रेफरेंस निर्णय का सरकार हक का नामान्तरकरण है। जिनका विस्तृत विवरण संलग्न आरोप विवरण पत्र में अंकित है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही ही नही अपितु राजस्व रिकार्ड में घोर अनियमितता एवं अज्ञानता के द्योतक है। जिसके लिए आप जिम्मेदार है। अतः अनुशासनिक दण्ड के भागी है।

4. अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युत्तर दिनांक 04.02.21 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें आरोपित आरोपों के संबंध में बिन्दुवार जवाब में यह निवेदन किया गया कि :–

जवाब आरोप संख्या 1–

श्री उनामाराम पुत्र राजाराम चौधरी निवासी दीगांव के रहननामा के नामान्तरकरण की प्रति उसे प्राप्त हुई, जिसका नामान्तरकरण किया जाना था। उसके द्वारा रहननामा की प्रति को नामान्तरकरण दायर करने हेतु एलआरसी शाखा जालोर में जमा करवा दी थी। उनामाराम द्वारा बार–बार फोन कर उसे कहा गया कि जल्दी नामान्तरकरण करवाओ ताकि मुझे बैंक से भुगतान हो सके तथा नामान्तरकरण नही होने के कारण बैंक ऋण राशि का भुगतान नही कर रहा है। उसके द्वारा एलआरसी से संपर्क किया तब एलआरसी कार्मिक द्वारा बताया गया कि अभी एलआरसी शाखा का कार्य सही रूप से संचालित नही हो रहा है एवं तकनीकी वजह से नामान्तरकरण नही हो पा रहा है। श्री उनामाराम द्वारा नामान्तरकरण हेतु बार–बार निवेदन के पश्चात तथा बैंक मैनेजर से बात करवाने पर बैंक मैनेजर द्वारा उससे कहा गया कि ''आप रहननामा की प्रति पर नामान्तरकरण दर्ज करने की टिप्पणी अंकित करके दे दो एवं फैसल होने के पश्चात जमाबंदी की प्रति उपलब्ध करवा देना। रहननामा पर नोट अंकित करने पर बैंक मैनेजर द्वारा आधी ऋण राशि देना एवं फैसल के पश्चात संपूर्ण राशि देना अवगत कराया गया। जिस पर उसके द्वारा सद्भावनावश एलआरसी शाखा से नामान्तरकरण की संख्या नोट कर, काश्तकार को सुविधा देने हेतु रहननामा पर नोट अंकित कर दिया गया एवं एलआरसी कार्मिक को नामान्तरकरण हेतु बार–बार कहा गया, लेकिन एलआरसी कार्मिक द्वारा सर्वर प्रोब्लम बताई गई। इस दरम्यान तहसीलदार जालोर द्वारा पटवार मण्डल दीगांव के चार्ज के आदेश श्री लहराराम पटवारी बाकरारोड़ के नाम करने पर उसके द्वारा चार्ज सुपूर्द कर दिया गया। जबकि

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

नामान्तरकरण भरने हेतु दस्तावेज एलआरसी शाखा में ही जमा थे। इस प्रकार उक्त कार्य में उसकी कोई बदनियति या दोष नही था।

जवाब आरोप संख्या 2–

मौजा नबी का नामान्तरकरण संख्या 682 नैनाराम पुत्र सोनाराम रेबारी की बजाय लुंगी देवी फगाजी रेबारी (बेचान) के नाम उसके द्वारा ऑफ लाईन प्रकिया के तहत दर्ज किया गया था। बाद में रेफरेन्स के नामान्तरकरण करने का आदेश प्राप्त होने पर रेफरेन्स नामान्तरकरण करवाने हेतु दस्तावेज एलआरसी शाखा में जमा करवाये गये। तत्पश्चात एलआरसी कार्मिक द्वारा उसे नामान्तरकरण दर्ज कर प्रति दी गई। उसके द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर टिप्पणी अंकित करने के दौरान नामान्तरकरण संख्या 682 पर दर्ज होना पाया गया। इस संबंध में एलआरसी कार्मिक से संपर्क करने पर बताया गया कि जमाबंदी ऑनलाईन प्रकिया के तहत पुनः ऑफलाईन कर, ऑनलाईन करने पर काफी मात्रा में त्रुटियां आ रही है तथा इस बाबत जयपुर बात कर ली गई है। टेक्नीकल इश्यू होने से एवं सर्वर सही होने पर दुरूस्त कर दी जावेगी। तब उसके द्वारा रेफरेन्स नामान्तरकरण बाबत राय मांगी जाने पर एलआरसी कार्मिक द्वारा बताया गया कि आप उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर दे दो, फिर वह अपलोड कर देगा। जब आगे से (जयपुर से) सर्वर सही होगा, तब जो भी निस्तारण होगा बता दूंगा। तब उसने तत्कालीन नायब तहसीलदार जालोर को इस बाबत अवगत करवाने पर उन्होने बताया कि अभी ऑनलाईन जमाबंदी व नामान्तरकरण प्रकिया में टेक्नीकल इश्यू होने से त्रुटियां है तथा सर्वर सही होने पर यह अपने आप सही हो जायेगी। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया, जो उसके द्वारा एलआरसी में लॉक करने हेतु पेश कर दिया था। तत्पश्चात उसके द्वारा दिनांक 28.03.2020 को पटवार मण्डल दीगांव का चार्ज श्री लहराराम पटवारी को सुपूर्द कर दिया गया। बाद में नामान्तरकरण सं0 682 बाबत उसे कोई जानकारी नही है। इस प्रकार उस पर लगाये गये आरोप सही नही है। ऑनलाईन में सर्वर त्रुटी होने के कारण उक्त कमियां रही है। जिसमें उसका कोई दोष या बदनियती नही है। लिहाजा उसके विरूद्ध आरोप ड्रॉप फरवाने का निवेदन किया गया।

5. तदउपरांत विद्वान जिला कलेक्टर जालोर ने प्रकरण में विस्तृत जांच करवाने हेतु अपने आदेश क्रमांकः एफ.1(18)(2)भू.अ./वि.जा./2020/833–38 दिनांक 19.02.2021 द्वारा

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी जालोर को जांच अधिकारी एवं आदेश क्रमांक 839–44 दिनांक 19.02.2021 द्वारा तहसीलदार जालोर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया।

6. जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा प्रकरण में जांच कार्यवाही सम्पन्न कर, अपने पत्र क्रमांकः वि.जां./22/316 दिनांक 28.02.22 के द्वारा जिला कलेक्टर जालोर को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जिसमें उपस्थापक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध लगाये गये आरोप जमाबंदी सेग्रीगेशन ऑफलाईन से ऑनलाईन करते समय सर्वर प्रोब्लम होने पर जमाबंदी व नामान्तरकरण प्रकिया में टेक्नीकल इश्यू के कारण त्रुटियां होना व जिन्हें जानकारी में आने पर बाद में ठीक किया जाना बताते हुए आरोपी पटवारी के पास दो पटवार मण्डलों का कार्यभार होने से तथा कार्य की अधिकतावश गहनता से जॉच नही कर पाने से नामान्तरकरण दर्ज करने में गलतियां होना बताया गया।

7. तत्पश्चात विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा प्रकरण मे दिनांक 01.06.22 को आरोपी कार्मिक की व्यक्तिगत सुनवाई के उपरांत जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट से पूर्णतया सहमत नही होने, आरोपी द्वारा राजकार्य में ढिलाई बरतने, जिसकी पुष्टि जांच अधिकारी द्वारा भी करने तथा आरोपी कार्मिक द्वारा अपनी लापरवाही को संगत ठहराने के लिए बताये गये कारण पूर्णतः स्वीकार योग्य नही होना मानते हुए, आरोपी को लघु शास्ती के दण्ड से दण्डित किया जाकर, सीसीए नियम–17 के अन्तर्गत आरोपी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने हेतु अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1845 दिनांक 16.06.2022 पारित किया गया।

8. दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट के पास दो पटवार मण्डलों का कार्यभार होने से कार्य की अधिकता थी। कार्मिक के विरूद्ध लगाये गये आरोप जमाबंदी सेग्रीगेशन ऑफलाईन से ऑनलाईन करते समय सर्वर प्रोब्लम होने पर जमाबंदी व नामान्तरकरण प्रकिया में टेक्नीकल इश्यू के कारण त्रुटियां रही है। प्रकरण की विस्तृत जांच में उपस्थापक–तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार इन्हें जानकारी में आने पर बाद में ठीक कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त कार्यवाही बदनियती से नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उसे दण्ड मुक्त कराने का आग्रह किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

9. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार अनुपस्थित होने से हमने प्रकरण में जिला कलेक्टर जालोर के पत्रांकः भू.अ./वि.अ./2022/4770 दिनांक 20.10.2022 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि प्रकरण में स्वयं जिला कलेक्टर जालोर ने जांच अधिकारी के प्रतिवेदन एवं आरोपी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर, आरोपी को लघु शास्ती के दण्ड से दण्डित किया जाकर, सीसीए नियम–17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो विधि विरूद्ध एवं आनुपातिक दृष्टि से अधिक होना प्रतीत है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 1845–55 दिनांक 16.06.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए "आरोपी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी (Commulative) प्रभाव से रोकने" के स्थान पर "आरोपी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने" की दण्डाज्ञा पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

10/3/2023

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर